ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में जाली प्रमाण पत्र का मामला दर्ज होने के बारे में 8 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5563 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रमोद्योग भवन, नई दिल्ली में जाली प्रमाण पत्रों सम्बन्धी मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किस तारीख को दर्ज किया; और

(ख) इस मामले में कब तक जांच पूरी होने की सम्भावना है तथा इस मामले को न्यायालय में कब तक दायर किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सी० बी० आई० जी० ओ० डब्यू० की दिल्ली शाखा ने नकली शैक्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में 31.1.85 की एक मामला आर० सी० 8/85-दिल्ली के अन्तर्गत दर्ज किया था।

(ख) साक्ष्य न होने के कारण मामले की जांच करने के बाद 25.7.85 को बन्द कर दिया गया था।

12.00 मध्याह्न

प्रधान मंत्री द्वारा उनकी हाल ही की विदेश यात्राओं के बारे में एक वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : जब संसद सत्र में नहीं था तो मैं 29 सितम्बर से 1 अक्तूबर तक भूटान और 14 से 27 अक्तूबर तक ब्रिटेन, क्यूबा, नीदरलैंड और सोवियत संघ की यात्रा पर गया था। मैंने 16 से 21 अक्तूबर तक बहामास में हुई राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक तथा 21 से 24 अक्तूबर तक न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की 40वीं वर्ष गांठ के समारोह में भाग लिया। मैंने 18 नवम्बर को ओमान के राष्ट्रीय दिवस की 15वीं वर्षगांठ के समारोह में भी भाग लिया था।

भूटान की शाही सरकार और वहां के लोगों ने मेरा जो भव्य स्वागत किया, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने अपनी मां की ओर से भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार ड्रुक वांग्याल भी स्वीकार किया। मेरी इस यात्रा से भूटान के साथ मौजूद हमारे सर्वोत्कृष्ट सम्बन्ध और मजबूत हुए हैं।

ब्रिटेन के साथ हमारे प्राचीन ऐतिहासिक और मधुर सम्बन्ध हैं। हमारे दोनों देशों के बीच जो सहयोग है उससे दोनों देशों को लाभ पहुंचा है। श्रीमती मार्ग्रेट थैचर और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों के साथ मेरी बातचीत बहुत उपयोगी रही। मैंने ब्रिटिश क्षेत्र में चल रही भारत विरोधी उग्रवादी गतिविधियों, हमारे आर्थिक आदान-प्रदानों में असन्तुलन तथा कौंसली और आप्रवासन

सम्बन्धी उन समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जिसका सामना हमारे राष्ट्रिकों को करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से हमें एक दूसरे की समस्याओं को समझने में सहायता मिली है।

बहामास में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति एक मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया। अपनी स्थिति के अनुरूप हमने व्यापक आदेशात्मक प्रतिबन्ध लगाने की मांग की। दक्षिण अफ्रीका के बारे में एक राष्ट्रमंडल समझौता स्वीकार किया गया। हम भी एक कठोर वक्तव्य के पक्ष में थे किन्तु यह समझौता इससे भी एक कदम आगे निकला। इस समझौते में पहली बार ब्रिटेन को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध विशिष्ट बारीकी से मानिटर्ड आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए राजी कराया गया। प्रतिबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रभाव पर निगरानी रखने तथा अश्वेत लोगों के उचित प्रतिनिधित्व सहित दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनीतिक बातचीत में सहायता करने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों का एक दल गठित किया जा रहा है। हमने इस दल में सरदार स्वर्ण सिंह को नामित किया है। चोगम ने विश्व-व्यवस्था सम्बन्धी एक घोषणा भी स्वीकार की जो अनिवार्यतः भारतीय शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर आधारित थी।

24 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित करने के अतिरिक्त मैंने ग्रुट-निरपेक्ष ग्रुप और पृथग्वासन विरोधी विशिष्ट समिति की विशेष बैठकों को भी सम्बोधित किया। बहामास और न्यूयार्क दोनों जगह बड़ी संख्या में राज्य और शासनाध्यक्षों के साथ अलग-अलग बैठक करने का मुझे अवसर मिला और उनके साथ द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर उपयोगी चर्चा की। न्यूयार्क में हमने 6 राष्ट्रों के नेताओं, जिन्होंने दिल्ली में नाभिकीय निःशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त घोषणा की थी, की एक बैठक भी की। हमने राष्ट्रपति रीगन तथा महासचिव गोर्बाचोव को एक अपील भेजी जिसका पाठ सदन के सभापटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1493-85]

क्यूबा का दौरा करने वाला मैं प्रथम भारतीय प्रधान मंत्री था। इन्दिराजी ने राष्ट्रपति कैस्ट्रो का निमन्त्रण स्वीकार किया था परन्तु दुर्भाग्यवश वे दौरे पर नहीं जा सकीं। राष्ट्रपति कैस्ट्रो के साथ द्विपक्षीय और अन्तरराष्ट्रीय महत्व के मसलों पर मेरी चर्चा अत्यन्त उपयोगी रही। राष्ट्रपति कैस्ट्रो ने राष्ट्रीय निर्माण के पथ पर अपनी जनता का उदात्त रूप में मार्गदर्शन किया है। उनकी अगुआई में क्यूबा में जो प्रगति हुई है उससे हम अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। मैंने अपनी मां की ओर से क्यूबा सरकार द्वारा विश्व नेता के रूप में श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हें मरणोपरान्त दिया गया "जोस माली पुरस्कार" स्वीकार किया। हवाना की जनता ने मुझे जो भावभीनी विदाई दी वह मुझे हृदय तक छू गई।

भारतीय प्रधान मंत्री का नीदरलैण्ड का दौरा काफी दिनों से लम्बित था। हमारे सम्बन्ध निकट के और मधुर हैं। प्रधान मंत्री लूबर्स के साथ मेरी वार्ता अत्यन्त उपयोगी रही। विकासशील देशों और उत्तरी-दक्षिणी वार्ता के प्रति नीदरलैण्ड के अत्यन्त रचनात्मक समर्थन की हम सराहना करते हैं।

दिल्ली लौटते हुए मैं थोड़ी देर के लिए सोवियत संघ में भी रुका। मैंने महासचिव गोर्बाचोव के साथ विचारों का विस्तृत और अत्यन्त उपयोगी आदान-प्रदान किया। यह बातचीत उस बातचीत

से आगे की गई थी जो इस वर्ष मई में अपनी यात्राओं के दौरान मैंने वहां की थी। हम समाज हित के मामलों पर बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

ओमान की मेरी यात्रा महामान्य सुल्तान काबूस के व्यक्तिगत और सौहार्दपूर्ण निमंत्रण के उत्तर में थी। प्राचीन काल से ही भारत और ओमान के बीच वाणिज्य और संस्कृति के क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे हैं। लगभग ढाई लाख भारतीय राष्ट्रिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ओमान में कार्य कर रहे हैं। ओमान के साथ हमारे सम्बन्धों का विस्तार होने की और अधिक सम्भावनायें हैं।

आज रात मैं वियतनाम और जापान की यात्रा पर जा रहा हूं। इन दोनों देशों के साथ हमारे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी ये यात्राएं भी उतनी ही लाभदायक सिद्ध होंगी जितनी कि अब तक की यात्राएं थीं।

———

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। श्रमिक वर्ग के एक नेता श्री अग्निवेश, जो बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, का पासपोर्ट छीन लिया गया है क्योंकि उन्होंने राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग के सामने बन्धुआ मजदूरी के विरुद्ध मामला रखा था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह यह मामला न्यायालय में भी ले जा सकते हैं। वह न्यायालय में इसे चुनौती दे सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक गम्भीर मामला है। यदि उन लोगों को जो श्रमिक वर्ग आन्दोलन में कार्य कर रहे हैं, यदि उन्हें दण्ड दिया जाएगा तथा उनसे उनके पासपोर्ट छीनकर उन्हें दण्ड दिया जाएगा·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कह सकता हूं प्रोफेसर साहब। अन्य कारण भी हो सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : भारत में निरंकुश शासन नहीं है। यह एक स्वतन्त्र देश है। अतः यह अत्यन्त आपत्तिजनक है·····

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। प्रोफेसर साहब, न्यायालय मौजूद हैं। इस प्रकार के मामले पहले भी हुए हैं। मैं इस मामले के तथ्यों को नहीं जानता। मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता हूं। न्यायालय मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय मौजूद है।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।